न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 03/2019 आर्म्स अपील (RCMS/2019/00016)
पंजीयन दिनांक - 19.03.2019
निर्णय दिनांक - 17.08.2020

अनवान

1. श्री भानसिंह पिता श्री अखेरसिंह चौहान, निवासी पालरा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, उदयपुर।
2. जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री भुपेन्द्रसिंह चुण्डावत - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 16.08.2018 जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

निर्णय

दिनांक 17.08.2020

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 16.08.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री भानसिंह पिता श्री अखेरसिंह चौहान द्वारा NP Bore Rifle-30 BA Mech Regd. No. 4273675 Make Spring Field के शस्त्र अनुज्ञा न. 03/2012 डीएम राजसमन्द, अवधि 01.01.2018 से 31.12.2020 तक नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष दिनांक 13.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उक्त आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं माना। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आवेदक से जवाब प्राप्त किये गया और उन पर अपना मत अभिलिखित करते हुए शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री भानसिंह पिता श्री अखेरसिंह चौहान द्वारा NP Bore Rifle-30 BA Mech Regd. No. 4273675 Make Spring Field के शस्त्र अनुज्ञा न. 03/2012 डीएम राजसमन्द को

अनुज्ञाधारी के विरूद्ध न्यायालय में अन्तर्गत धारा-451, 427, 34 आईपीसी में लम्बित चार्जशीट के दोषसिद्धी/दोषमुक्ति निर्णय तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने को आदेश दिनांक 16.08.2018 को पारित किया गया। आदेश में यह भी अंकित किया गया कि लाईसेन्सी श्री भानसिंह चौहान के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत चार्जशीट का निर्णय होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली पुनः प्रस्तुत की जा सकती है।

- उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री भानसिंह चौहान द्वारा दिनांक 18.03.2019 को इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम को प्रस्तुत कर विलम्ब अवधि को उपशमन किये जाने का अनुरोध किया।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 14.07.2020 को वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। दिनांक 17.08.2020 को वकील प्रत्यर्थी की मजीद बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की बात है, वर्णित प्रकरणों में आर्म्स से सम्बन्धित अपराध कोई अभियोग नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध कुल दर्ज तीन प्रकरणों में से प्रकरण संख्या-285/13 में राजीनामा हो चुका है, 258/93 भी निर्णित हो चुका है, मात्र प्रकरण संख्या-271/16 न्यायालय में विचाराधीन है, जो अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण के प्रार्थी के विरूद्ध अन्य प्रकरण में गवाही देने के कारण दर्ज करवाया गया जिसमें अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा पेश की जांच रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आर्म्स का दुरूपयोग नहीं किया गया एवं अपीलार्थी ने स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आर्म्स लाईसेन्स का दुरूपयोग नहीं किया गया है और न ही भविष्य में इसका दुरूपयोग किया जायेगा। अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, अपीलार्थी वर्तमान में कृषि कार्य करता है जिससे रात्रि में जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु आर्म्स की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी आर्मी से सेवानिवृत है, आर्म्स अनुज्ञा जारी होने पर अपीलार्थी बैंक इत्यादि में सुरक्षा सर्विस कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। अपीलार्थी को अपने शस्त्र लाईसेंस के निलम्बन के आदेश की जानकारी 01.05.2019 को हुई, उक्त जानकारी होने पर ठोस आधारों पर अविलम्ब प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई, विलम्ब उपशमन बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा को नवीनीकरण किया जाना न्याय हित में आवश्यक मानते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अनुज्ञा नम्बर 02/12 डीएम राजसमन्द को नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1- 2013(2) WLC (Raj) 393, Raj. High Court, Jodhpur, Shiv Kumar Vs State of Rajasthan & Ors.
2- (2010) 0 Supreme (All) 1363, Wasim Ahmed Vs State of UP

3- (1977) 0 Supreme (Mad) 114, Munia Reddiar vs BOR represented by Commissioner of Land Revene and Land Reforms, Chepak, Madras-5 & another
4- (2013) 0 Supreme (Mah) 2265, Shshrao @Vijay Bhikaji Salve V/s State of Maharastra through its Chief Secretary, Home Department.
5- (2002) 2 Crimes (HC) 52, Habib vs. State of Uttar Pradesh
6- (2013) 0 Supreme (Mah) 2454, (2014) 0 AIIMR (Cri) 1634, Nitin Vs. Divisional Commissioner
7- (2015) 4 CDR 2120, Rajasthan High Court Single Bench, Banwar Lal Bohra vs. State of Rajasthan & others.

राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञाधारी आदतन अपराधी होकर बदमाश प्रवृति का है तथा उक्त आपराधिक प्रकरण साधारण प्रकृति का नहीं होकर गंभीर प्रकृति का है। अनुज्ञाधारी आपराधिक प्रवृति का होने से कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में जन सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक अनुज्ञाधारी के विरूद्ध न्यायालय में अन्तर्गत धारा-451, 427, 34 आईपीसी में लंबित चार्जशीट के दोषसिद्ध/दोषमुक्ति निर्णय तक जिला कलक्टर, राजसमन्द कार्यालय से जारी शस्त्र अनुज्ञा न. 03/2012 डीएम राजसमन्द आदेश दिनांक 16.08.2019 से निलम्बित किया जाकर लाईसेंस में दर्ज NP Bore Rifle-30 BA Mech Regd. No. 4273675 Make Spring Field को पुलिस स्टेशन भीम में जमा करने के आदेश दिये गये जो जनसुरक्षा की दृष्टि से उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। साथ ही प्रस्तुत अपील मयाद बाधित होने से मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री भानसिंह पिता श्री अखेरसिंह चौहान द्वारा NP Bore Rifle-30 BA Mech Regd. No. 4273675 Make Spring Field के शस्त्र अनुज्ञा न. 03/2012 डीएम राजसमन्द, अवधि 01.01.2018 से 31.12.2020 तक नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष दिनांक 13.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से रिपोर्ट दिनांक 15.12.2017 प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुनवाई/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और अपीलार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट से असंतुष्ट होने से जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। हस्तगत प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा रिपोर्ट दिनांक 15.12.2017, 15. 03.2018 एवं 27.06.2018 प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये और अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित प्रतिक्रिया दिनांक 15.02.2018, 17.04.2018, 06.08.2018 प्रस्तुत की गई। आयुध अधिनियम की धारा-14(1)(ख)(ii) अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी अध्याय 2 अधीन के किसी भी मामलें में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहा इन्कार करेगा जहां कि अनुज्ञापन प्राधिकारी लोकशान्ति की सुरक्षा के लिये या लोक क्षेम के लिये ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना आवश्यक समझता है। इसी प्रकार **आयुध अधिनियम की धारा-17(3)(ख) अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को ऐसी कालावधि के लिये, जैसी वह ठीक समझे, निलंबित**

कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को प्रतिंसहृत कर सकेगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित करना या प्रतिंसहृत करना लोकशान्ति की सुरक्षा के लिये या लोकक्षेम के लिये आवश्यक समझे। हस्तगत प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक श्री भानसिंह के विरूद्ध तीन प्रकरण दर्ज होकर तीनों प्रकरण में चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। **आवेदक लडाई-झगडे करने का आदी होकर गुस्सेल प्रवृति का व्यक्ति है जो क्रोध आने पर संयम खो देता है। आवेदक की आपराधिक प्रवृति को देखते हुए आवेदक श्री भानसिंह द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग किये जाने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी।** आवेदक द्वारा 2005 में लाईसेंस सेना की सेवा के दौरान प्राप्त किया गया, जिसके उपरान्त वर्ष 2013 व 2018 में आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया। प्रकरण संख्या-283/13 में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त होना तथा प्रकरण संख्या-271/16 में जैर ट्रायल होना एवं **पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या-258/93 में सजा होना अंकित है**, ऐसे में शस्त्र अनुज्ञा न. 03/2012 डीएम राजसमन्द दर्ज NP Bore Rifle-30 BA Mech Regd. No. 4273675 Make Spring Field का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। स्पष्ट है कि आवेदक पर तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए व आवेदक की आपराधिक प्रवृति से शस्त्र के दुरूपयोग होने की पूर्ण संभावना है, लोक शान्ति की सुरक्षा आवश्यक होने से शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकृत किया जाना उचित नहीं होने से उक्त रिपोर्ट एवं लिखित प्रतिक्रिया पर अपना मत अभिलिखित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उक्त लाईसेंस निलंबित किया गया। **जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुए जो आदेश दिनांक 16.08.2018 पारित किया, उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, उक्त आदेश लोकहित के दृष्टिगत है।** अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से निर्णय हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 16.08.2018 से विरूद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। **आयुध नियम, 2016 की नियम 107 अनुसार अपीलार्थी को आलौच्य आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की जानी थी। प्रस्तुत अपील विहित कालावधि के अवसान के पश्चात प्रस्तुत की गई।** मयाद उपशमन बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा देरी के सम्बन्ध में सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण से अपीलीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थी जरिये दस्तावेजी साक्ष्य यह समाधान करने में असफल रहा है कि उस कालावधि के अन्दर अपील न करने के लिये उसके पास पर्याप्त हेतुक था। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद उपशमन बाबत स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 16.08.2018 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर